दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
18.12.2025	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी अधिवक्ता स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में कहा कि मौजा–फौगेरा पटवार मण्डल–फौगेरा तह0 गडरारोड़ के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 110, 117 रकबा क्रमशः 5.1233, 29947 हैक्टेयर व मौजा–फौगेरा आगोर, पटवार मण्डल–फौगेरा तह0 गडरारोड़ के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 172, 173, 260/172, 261/173, 70 रकबा क्रमशः 5.3418, 4.6134, 4.2087, 1.1898 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जो उनके पूर्व पुरूष पदा उर्फ पदमा पुत्र गुणा के नाम दर्ज थी। पदा उर्फ पदमा के लाऔलाद फौत होने पर विप्रार्थीगण के वालिद के उक्त विरासत का नामान्तरकरण केवल अपने अकेले के नाम से खुलवाया। इस नामान्तरकरण मे वादीगण के वालिद खमाणा वल्द जसाजी का भी हक हिस्सा विप्रार्थीगण के वालिद के समान ही था। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त विप्रार्थीगण के साथ ही चला आ रहा होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे है। वर्तमान मे विप्रार्थीगण ने वर्तमान राजस्व रेकर्ड की त्रृटिपूर्ण प्रविष्टियों का सहारा लेकर उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को अन्य को हस्तान्तरण का मानस बनाया तब प्रार्थीगण ने इस आपत्ति की किन्तु प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त आराजी में दर्ज नहीं होने से तथा विप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का अपने वालिद के समय से कब्जा काश्त विद्यमान होने व हक हिस्सा होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में विप्रार्थीगण संख्या 01 से 5 के विरूद्व प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नही करने तथा वर्तमान मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता श्री ईश्वरसिह भाटी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आरजी खेत खसरा नम्बर 70, 117, 172 वक्त सेटलमेन्ट स्व. पदमा के नाम से दर्ज हुए थे और उनकी फौतगी पर जरिए नामान्तकरण संख्या 20 उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं 2 से 5 के दादा स्व0

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:32:48 IST
Reason: SelfAttested

पहाडा के नाम दर्ज हुई। पदमा के कोई संतान नही थी वह प्रतिवादीगण के वालिद पहाडा के साथ ही रहता था और उनकी सेवा चाकरी भी प्रतिवादीगण के वालिद द्वारा की गई उनके फौत होने पर अंतिम संस्कार व अन्य सामाजिक रस्में भी विप्रार्थीगण के वालिद द्वारा निभाई गई। उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत की मिटिग में पेश हुआ सब पंचों ने एक राय होकर श्री पदमा के फौत होने उसके काकाई भाई पहाडा पुत्र पुरा को वारिस होना मंजूर कर नामान्तकरण पारित किया खसरा नम्बर 110, 173 की भूमि वक्त सेटलमेन्ट विप्रार्थीगण के वालिद पहाडा के नाम से पृथक रूप से दर्ज हुई है। प्रार्थीगण की अपेक्षा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 05 को अधिक एवं अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के बजाय विप्रार्थीगण के पक्ष मे होने से विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावें।

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेन्ट से ही रेकर्ड में नाम दर्ज नही होने से प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

2. सुविधा का संतुलन :— विवादित आराजी के वक्त सेटलमेन्ट में रेकर्डेड खातेदार केवल विप्रार्थीगण ही होने से तथा मौके पर कब्जा काश्त विप्रार्थीगण का ही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होना पाया जाता है।

3. अपूर्णीय क्षति :— कि प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार नही होने से तथा मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नही से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होना पाया जाता है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की वहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया साथ ही अधिवक्ताओ की वहस पर गम्भीरता से मनन करने के वाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित वादग्रस्त आराजी पूर्व में खतौनी वन्दोवस्त [illegible] तह0 शिव जिला वाडमेर में सवंत् 2012 से 2039 के खाता संख्या [illegible] अंकित मूल खसरा नम्वर नम्वर 172, 70, 117 भूमि पदमा का ही नाम दर्ज था तथा खतौनी वन्दोवस्त ग्राम फोगेरा तह0 शिव जिला वाडमेर [illegible] संवत् 2012 में खसरा नम्वर 110, 173 भूमि प्रतिवादीगण के वालिद पहाडा पुत्र पूरा के नाम दर्ज हुई थी और उनकी फौतगी पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई थी। वर्तमान में ग्राम फोगेरा के खेत खसरा नम्वर 110, 117, 172, 173,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:32:48 IST
Reason: SelfAttested

260/172, 261/173, 70 रकबा क्रमशः 5.1233, 2.9947, 5.3418, 4.6134, 4.2087, 4.5891, 1.1898 हैक्टेयर तह0 गडरारोड़ की जमाबंदी में प्रार्थीगण/पूर्वज का वक्त सेटलमेन्ट से ही नाम दर्ज नही होने से पक्ष मे न तो प्रथम दृष्टया मामला पाया गया तथा न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होता है तथा न ही प्रार्थीगण का मौके पर किसी प्रकार कब्जा काश्त नही होने व प्रार्थीगण वक्त सेटलमेन्ट से रेकर्डेड खातेदार नही होने से अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को नही हो रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व जारी दि. 19.12.2023 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। जिसे आगे बढाया जाना उचित प्रतित नही होने से प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एक पक्षीय निषेधाज्ञा दिनांक 19.12.2023 को निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 18.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:32:48 IST
Reason: SelfAttested